100

सं0– /IV(2)-श0वि0–2013–266(सा0)05

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादूनः दिनांक– 30 मार्च, 2013

विषयः– तत्कालीन नगरपालिका परिषद, हल्द्वानी के अन्तर्गत अवस्थापना विकास निधि से पालिका भवन निर्माण/शॉपिंग कॉम्पलैक्स निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 306/V–श0वि0–06–266(सा0)/05, दिनांक 15.02.2006, शासनादेश संख्याः 1787/IV(2)–श0वि0–09–266(सा0)/05, दिनांक 04.01.2010 तथा शासनादेश संख्याः 253/IV(2)–श0वि0–11–266(सा0)/05, दिनांक 16.05.2011 तथा का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से तत्कालीन नगरपालिका परिषद, हल्द्वानी हेतु अवस्थापना विकास के अन्तर्गत दो कार्यों हेतु ₹ 399.92 लाख की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए ₹ 360.90 लाख एवं ₹ 39.02 लाख अवमुक्त किये गये थे, जिनमें से कार्यालय भवन निर्माण/शॅपिंग कॉम्पलैक्स कार्य हेतु ₹ 273.45 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए क्रमशः ₹ 261.91 लाख तथा ₹ 11.54 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

2– नगरपालिका परिषद, हल्द्वानी के नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम में परिवर्तित होने के फलस्वरूप कार्यालय भवन निर्माण हेतु ₹ 561.47 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में शासनादेश संख्याः 429/IV(2)–श0वि0–12–266(सा0)/05, दिनांक 29.03.2012 द्वारा टी0ए0सी0 की संस्तुति के उपरान्त संशोधित रू. 406.50 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए तृतीय किश्त के रूप में ₹ 50.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इस प्रकार वर्तमान तक ₹ 323.45 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3– उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी/प्रशासक, नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम के पत्र संख्याः 1979, दिनांक 11.03.2013 द्वारा नगर निगम के कार्यालय भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि ₹ 83.05 लाख की स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम कार्यालय भवन निर्माण हेतु अवशेष अन्तिम किश्त ₹ 83.05 लाख की धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त ₹ 50.00 लाख की धनराशि समय से उपयोग न किये जाने के कारण उस पर अनुमानित ब्याज की धनराशि ₹ 5.00 लाख को रोकते हुए शेष ₹ **80.00 लाख (रूपये अस्सी लाख मात्र)** की धनराशि अन्तिम किश्त के रूप में संलग्नक–I, बीएम–9 (भाग – एक) प्रपत्र में उल्लिखित मदों के बचतों के व्यावर्तन से व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि **रू. 80.00 लाख (रूपये अस्सी लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित नगर पंचायत को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जो शासनादेश की शर्तें पूर्ण करने पर कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।

(ii) पूर्व निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(iii) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

(iv) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(v) कार्य के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेकिंग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित की जाएगी और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।

(vi) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।

(vii) कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

(viii) निर्माण कार्य पर प्रयोग किए जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(ix) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनोदश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2012–13 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 1135/XXVII(2)/2012, दिनांक– 30 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी s.130313.0852 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव।

सं0– 458 (1)/IV(2)-श0वि0–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा (साईबर ट्रेजरी), देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. प्रशासक, नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।